1 4611

भारतीय गैर न्यायिक

एक सौ रुपये   Rs. 100

रु. 100   ONE HUNDRED RUPEES

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH   H 617569

ATTESTED

S. K. G

D/W MEERUT

लेख–पत्र का विवरण

1.	भूमि का प्रकार	:	आवासीय भूमि।
2.	वार्ड परगना	:	मेरठ।
3.	मौहल्ला / ग्राम	:	कस्बा मेरठ निकट रामापुरम कालोनी सूर्योदय विहार।
4.	सम्पत्ति का विवरण	:	जोकि 220.73 वर्ग मीटर भूमि मिनजुमले नम्बर खसरा 6316 स्थित कस्बा मेरठ निकट रामापुरम कालोनी, सूर्योदय विहार, मेरठ शहर।
5.	मापन की इकाई	:	वर्ग मीटर।
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	220.73 वर्ग मीटर।
7.	सड़क की स्थिति	:	कालोनी रास्ता।
8.	अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कार्नर)	:	लागू नहीं।

ATTESTED

S. K. GOEL

D/W MEERUT

S Sharma

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 550532

GOEL

MEERUT

<u>लेख–पत्र का विवरण</u>

1.	भूमि का प्रकार	:	आवासीय भूमि।
2.	वार्ड परगना	:	मेरठ।
3.	मौहल्ला / ग्राम	:	कस्बा मेरठ निकट रामापुरम कालोनी सूर्योदय विहार।
4.	सम्पत्ति का विवरण	:	जोकि 220.73 वर्ग मीटर भूमि मिनजुमले नम्बर खसरा 6316 स्थित कस्बा मेरठ निकट रामापुरम कालोनी, सूर्योदय विहार, मेरठ शहर।
5.	मापन की इकाई	:	वर्ग मीटर।
6.	सम्पत्ति का क्षेत्रफल	:	220.73 वर्ग मीटर।
7.	सड़क की स्थिति	:	कालोनी रास्ता।
8.	अन्य विवरण (9 मीटर रोड / कार्नर)	:	लागू नहीं।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत INDIA

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 550533

9.	सम्पत्ति का प्रकार	:	आवासीय।
10.	सम्पत्ति का कुल क्षेत्रफल	:	220.73 वर्ग मीटर।
11.	कुल आच्छादित क्षेत्रफल	:	लागू नहीं।
12.	स्थिति–फिनिश्ड / सेमी फिनिश्ड / अन्य	:	लागू नहीं।
13.	पेड़ों का मूल्यांकन	:	लागू नहीं।
14.	बोरिंग / कुआँ / अन्य	:	लागू नहीं।
15.	निर्मित क्षेत्रफल	:	लागू नहीं।
16.	निर्माण का वर्ष	:	लागू नहीं।
17.	सहकारी आवास समिति के सदस्य से सम्बन्धित	:	नहीं ।
18.	प्रतिफल की धनराशि	:	1,65,000 / –रूपये।

19. प्रथम पक्ष की संख्या दो। द्वितीय पक्ष की संख्या एक।

विक्रय–पत्र अंकनः 1,65,000 / –रूपये।

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 550534

स्टाम्प प्रयोजन हेतु मालियत अंकनः 5,80,000/–रूपये।

इस विक्रय विलेख पर कुल अंकनः 58,000/– रूपये का स्टाम्प देय होता है जिसमें से अंकनः 32,000/–रूपये का स्टाम्प इकरारनामा माहिदा बय दिनांक 17.05.2006 ई0 के निष्पादन पर अदा किया जा चुका है जिसको अनुच्छेद 5–बी स्टाम्प अधिनियम के अन्तर्गत समायोजित करने के उपरान्त अवशेष स्टाम्प शुल्क अंकनः 26,100/– मय इकरारनामा शुल्क इस विक्रय विलेख पर अदा किया गया है।

विक्रय–पत्र ओर से श्रीमती सुखबीरी पत्नी स्व0 श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम शेरगढी जिला मेरठ बहैसियत प्राकृतिक संरक्षक एवं माता ओर से श्री विपिन कुमार नाबालिग पुत्र स्वयं निवासी शेरगढी, मेरठ शहर :————————————————: प्रथम पक्ष (विक्रेता)।।

व

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

Rs.5000

पाँच हजार रुपये

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 550849

श्री गोपाल माहेश्वरी पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 1, चाणक्यपुरी, मेरठ शहर :————————————————————: द्वितीय पक्ष (सहमति पक्षकार)।।

व

सियाराम कस्तूरी देवी एजूकेशनल सोसायटी, 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट द्वारा सचिव श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट :————————: तृतीय पक्ष (क्रेता) ।।

जोकि 264 वर्ग गज भूमि (दो सौ चौसठ वर्ग गज भूमि) अथवा 220.73 वर्ग मीटर भूमि (दो सौ बीस दशमलव सात तीन वर्ग मीटर भूमि) यानि 1/24 हिस्सा उपरोक्त विपिन कुमार नाबालिंग यानि कुल हक व हिस्सा मिनजुमले नम्बर खसरा 6316 सालिम रकबई 2 बीघे 2 बिस्वे पुख्ता स्थित कस्बा मेरठ निकट रामापुरम कालोनी, सूर्योदय विहार, मेरठ शहर के प्रथम पक्ष व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी तथा संक्रमणीय भूमिधर हैं जिसके सम्बन्ध में धारा 143

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000

पाँच हजार रुपये

Rs.5000

FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

A 550850

जमींदारी विनाश अधिनियम की घोषणा हो चुकी है तथा उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक प्रथम पक्ष की ओर से प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से उऋण एवं वैधानिक त्रुटियों एवं दोषों आदि से मुक्त एउवं रहित हैं प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को विक्रय करने का अनुबन्ध द्वितीय पक्ष से द्वारा रजिस्टर्ड अनुबन्ध दिनांक 25.11.1991 ई0 तय कर रखा है और अब प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष ने उपरोक्त सम्पूर्ण भूमि को विक्रय करने का अनुबन्ध तृतीय पक्ष रो द्वारा विक्रय अनुबन्ध दिनांक 17.05.2006 ई0 के निष्पादन पर अंकनः 1,65,000/–रूपये (एक लाख पैंसठ हजार रूपये) में तय किया हुआ है कि जिसकी रजिस्ट्री बही नम्बर 1 खण्ड 4904 के पृष्ठ 281/294 पर क्रम संख्या 5421 पर दिनांक 23.05.2006 ई0 कार्यालय उप–निबन्धक, मेरठ हुई। यह विक्रय–पत्र उक्त विक्रय अनुबन्ध के अनुपालन में तृतीय पक्ष क्रेता के पक्ष में निष्पादित किया जा रहा है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को विक्रय करने की अनुमति नाबालिग की ओर से माननीय जिला जज, मेरठ से धारा–8 हिन्दू माईनिरिटी एण्ड गार्जियनशिप एक्ट

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

एक हजार रुपये

ONE THOUSAND RUPEES

रु.1000

Rs.1000

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

B 990382

के अन्तर्गत विविध वादसंख्या 72/2006 आदेश दिनांक 18.04.2007 ई0 के द्वारा प्राप्त कर ली है। अब विक्रय–पत्र निष्पादित करने में कोई कानूनी बाधा नही है। अतः उपरोक्त वर्णित भूमि को उससे सम्बन्धित समस्त अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि सहित, बिना छोड़े हुये किसी स्वत्व एवं अधिकार के, चाहे उसका वर्णन इस विक्रय विलेख में किया गया हो अथवा न किया गया हो, स्वस्थ मस्तिष्क एवं निर्मल इन्द्रियों की दशा में अंकनः 1,6,5000/–रूपये (एक लाख पैंसठ हजार रूपये) विक्रय मूल्य के उपलक्ष्य में हस्ते सियाराम कस्तूरी देवी एजूकेशनल सोसायटी, 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट द्वारा सचिव श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट तृतीय पक्ष क्रेता को विक्रय कर दिया और बेच ड़ाला और समस्त विक्रय मूल्य प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष ने तृतीय पक्ष क्रेता से निम्न प्रकार प्राप्त करके विक्रीत भूमि को अपने अधिकार तथा प्रथम पक्ष के स्वामित्व आदि से निकालकर तृतीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि में

S Sharma

विक्रय पत्र

165,000.00/	**580,000.00**	5,000.00	20	5,020.00	1,000
प्रतिफल	मालियत	फीस रजिस्ट्री	नकल व प्रति शुल्क	योग	शब्द लगभग

श्री /श्रीमती सुखबीरी
पुत्र / पत्नी श्री हुकम सिह
पेशा गृहिणी
निवासी स्थायी ग्राम शेरगढी मेरठ
अस्थायी पता ग्राम शेरगढी मेरठ

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय दिनांक 4/5/2007 समय 11:05AM
बजे निवन्धन हेतु पेश किया।

सब रजिस्ट्रार प्रथम
उप निबन्धक प्रथम
मेरठ

निष्पादन लेखपत्र बाद सुनने व समझने मजमून व प्राप्त धनराशि रू प्रलेखानुसार उक्त

4/5/2007

विक्रेता

श्री/श्रीमती सुखबीरी
पुत्र/पत्नी श्री हुकम सिह
पेशा गृहिणी
निवासी ग्राम शेरगढी मेरठ

क्रेता

श्री/श्रीमती सुधीर शर्मा
पुत्र/पत्नी श्री गजेन्द्र शर्मा
पेशा व्यापार
निवासी शंकर मार्केट आबूलेंन मेरठ

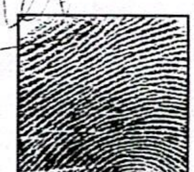

श्री/श्रीमती गोपाल माहेश्वरी
पुत्र/पत्नी श्री लक्ष्मी नारायण
पेशा व्यापार
निवासी 1- चाणक्य पुरी मेरस्त

देकर उनको व्यक्तिगत स्वामी एवं वास्तविक अधिकारी बना दिया। अब विक्रेता का कोई स्वामित्व या अधिकार विक्रीत भूमि से सम्बन्धित भविष्य के लिये शेष नहीं रहा और न होगा। वास्तविक परिवर्तन कार्यान्वित हुआ। यह विक्रय पूर्णतया उचित एवं वैधानिक है तथा प्रयोग होने योग्य है। कब्जा विक्रीत भूमि का कतई खाली का स्थल पर तृतीय पक्ष क्रेता को प्रदान कर दिया है तथा तृतीय पक्ष क्रेता ने उपरोक्त भूमि का वास्तविक एवं भौतिक अधिपत्य स्थल पर प्राप्त कर लिया है। उपरोक्त भूमि में लगभग 5 फिट गहरे गढढे है, जिसको कुछ भराव द्वितीय पक्ष ने करा दिया तथा शेष भराव क्रेता स्वयं करा लेने के अधिकारी रहेंगे। अब तृतीय पक्ष क्रेता को अधिकार होगा कि वह उपरोक्त भूमि को अपनी इच्छानुसार प्रयोग में लायें, उसमें निर्माण आदि करायें। क्रेता अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के अधिकारी रहेंगे। यदि इस हेतु विक्रेता की रजामन्दी प्रस्तुत करने की आवश्यकता होगी तो उसको समयानुसार पूर्ण करने के पाबन्द रहेंगे, कोई आपत्ति न होगी। यदि आज की तिथि से पूर्व का कोई डयूज विक्रीत भूमि पर बकाया पाया जायेगा तो उसको चुकता करने का भार हम विक्रेता के जिम्मे होगा तथा आज की तिथि के बाद समस्त डयूज एवं टैक्सेज स्वयं तृतीय पक्ष क्रेता वहन करेंगे, कोई आपत्ति न होगी। यदि अब अथवा भविष्य में विक्रीत भूमि अथवा उसका कोई अंश तृतीय पक्ष क्रेता के अधिकार, स्वामित्व एवं अधिपत्य आदि से निकल जायेगा या विक्रीत भूमि पर कोई ऋण अथवा भार आदि पाया जायेगा या यह बैनामा किसी न्यायालय से खण्डित हो जायेगा तो ऐसी प्रत्येक वैधानिक दशा में क्रेता के विक्रय मूल्य अथवा उसका कोई अंश जैसी स्थिति हो मय हर्जा व खर्चा वापिस चुकता करने का भार हम विक्रेता प्रथम पक्ष एवं द्वितीय पक्ष तथा हमारे उत्तराधिकारी सहित उनकी चल व अचल सम्पत्ति समस्त प्रकार पर रहेगा। कोई आपत्ति न होगी। अतः यह विक्रय पत्र लिख दिया कि प्रमाणित हो और उचित समय पर काम आवे। इति।।

<u>सीमायें विक्रीत भूमि :-</u>

पूरब	:	भूमि तृतीय पक्ष क्रेता। पैमाइश:- 14'-11''
पश्चिम	:	भूमि तृतीय पक्ष। पैमाइश:- 14'-11''
उत्तर	:	भूमि द्वितीय पक्ष। पैमाइश:- 159'
दक्षिण	:	सूर्योदय विहार कालोनी। पैमाइश:- 159'

ने निष्पादन स्वीकार किया ।

जिनकी पहचान श्री अरूण कुमार

पुत्र श्री हुकम सिह

पेशा नौकरी

निवासी शेरगढी मेरठ

व श्री मुकेश शर्मा

पुत्र श्री श्रीपाल शर्मा

पेशा नौकरी

निवासी 61 शिवाजी रोड मेरठ

ने की ।

प्रत्यक्षतः भद्र साक्षियों के निशान अंगूठे नियमानुसार लिये गये हैं।

सब रजिस्ट्रार प्रथम
उप निबन्धक प्रथम
मेरठ
4/5/2007

<u>विवरण प्राप्ति विक्रय मूल्य</u> :–

1. अंकन: 25,000/–रूपये (पच्चीस हजार रूपये) का एक किता चैक संख्या 576114 दिनांक 17.05.2006 ई0 मौसूमा पंजाब नैशनल बैंक, जागृति विहार, मेरठ प्राप्त किये।

2. अंकन: 75,000/–रूपये (पिचहत्तर हजार रूपये) का एक किता चैक संख्या 576115 दिनांक 17.05.2006 ई0 मौसूमा पंजाब नैशनल बैंक, जागृति विहार, मेरठ प्राप्त किये।

3. अंकन: 65,000/–रूपये (पैसठ हजार रूपये) प्रथम पक्ष ने तृतीय पक्ष से द्वारा एफ.डी.आर. नम्बर TAH 998880 मौसूमा पंजाब नेशनल बैंक, दिनांक 03.05.2007 प्राप्त कर लिये हैं, जिसकी प्राप्ति स्वीकार एवं मान्य है।

<u>मीजान कुल 1,65,000/–रूपये।</u>

<u>सम्पत्ति का फोटोग्राफ</u>

मैं / हम एतद्द्वारा यह घोषणा करते हैं कि निम्न फोटोग्राफ उपरोक्त सम्पत्ति का ही है तथा हम इसे प्रमाणित करते हैं।

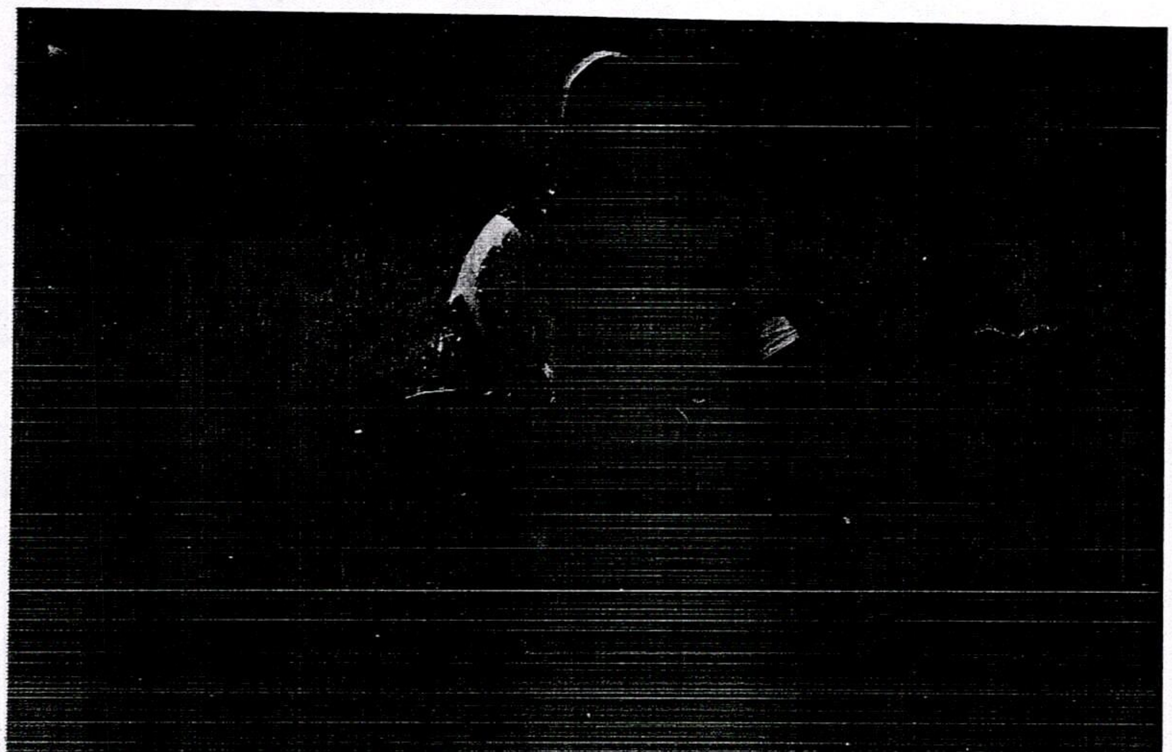

विक्रेता

Registration No 4611 Year : 2007 Book No. 1

0101 **सुखबीरी**

हुकम सिह

ग्राम शेरगढी मेरठ

गृहिणी

0102 **गोपाल माहेश्वरी**

लक्ष्मी नारायण

1- चाणक्य पुरी मेरठ

व्यापार

<u>अन्य विवरण :–</u>

1. विक्रीत भूमि आवासीय है तथा आवासीय हेतु विक्रय की जा रही है ।
2. विक्रीत भूमि के स्थल के लिए जिलाधिकारी, मेरठ द्वारा निर्धारित मूल्य सूची के क्रम संख्या 69 के अनुसार सर्किल रेट 2600/–रूपये प्रति वर्ग मीटर है।
3. विक्रीत भूमि में कोई निर्माण नहीं है।
4. विक्रीत भूमि नगरीय क्षेत्र के अन्तर्गत स्थित है ।

<u>रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1908 की धारा 32–ए के अनुपालन हेतु फिंगर प्रिन्टस।</u>

प्रथम पक्ष का नाम व पता :– श्रीमती सुखबीरी पत्नी स्व0 श्री हुकम सिंह निवासी ग्राम शेरगढी जिला मेरठ बहैसियत प्राकृतिक संरक्षक एवं माता ओर से श्री विपिन कुमार नाबालिंग पुत्र स्वयं निवासी शेरगढी, मेरठ शहर।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

द्वितीय पक्ष का नाम व पता :– श्री गोपाल माहेश्वरी पुत्र स्व0 श्री लक्ष्मी नारायण निवासी 1, चाणक्यपुरी, मेरठ शहर।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह

क्रेता

Registration No. 4611 Year : 2007 Book No. 1

0201 सुधीर शर्मा
गजेन्द्र शर्मा
शंकर मार्केट आबूलेंन मेरठ
व्यापार

4904/2006
32000700
31900
15000
580000/-
26100
31900
=58000/-
5800

4-5-07

तृतीय पक्ष का नाम व पता :– सियाराम कस्तूरी देवी एजूकेशनल सोसायटी, 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट द्वारा सचिव श्री सुधीर शर्मा पुत्र श्री गजेन्द्र शर्मा निवासी 182 शंकर मार्केट, आबूलेन, मेरठ कैण्ट।

बायें हाथ की अंगुलियों के चिन्ह् :–

दाहिने हाथ की अंगुलियों के चिन्ह् :–

Sharma

गा० Arunkumar S/o
LATE HOKAMSINGH
231, SHERGHARI SHASTRI
NAGAR, MEERUT

गा० Maheshwari
S/o Gopal Maheshwari
Chanakyapuri
Shastri nagar
meerut.

तहरीर तारीख : 03.05.2007 ई० मसविदा श्री देवेन्द्र कुमार गर्ग, प्रालेखक, मेरठ।

JSD CONSULTANTS

आज दिनांक **04/05/2007** को

वही सं **1** जिल्द सं **5437**

पृष्ठ सं. **139** से **160** पर कमांक **4611**

रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

सब रजिस्ट्रार प्रथम

उप निबन्धक प्रथम

मेरठ

4/5/2007